न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 99/2023

1. सरोज पत्नी स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. कुनाल उम्र 17 वर्ष पुत्र स्व. रामकुमार

3. भावना उम्र 15 वर्ष पुत्री स्व. रामकुमार | तहसील पीलीबंगा जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सरोज पत्नी स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र स्व. हंसराज जाति बिश्नोई निवासी 17 एलजीडब्लयु तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम बाबत निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक	प्रार्थीगण
2. श्री संजय चाण्डक	अप्रार्थी सं. 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03/09/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कियह कि उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पुर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी सं. 2–3 नाबालिग है इसलिए यह दावा इन दोनो की ओर से उनकी प्राकृतिक संरक्षक माता सरोज की ओर से पेश किया जा रहा है। ये दोनो अपनी माता के साथ रहते है तथा इनकी माता सरोज में ही इनके हित सुरक्षित है। यह कि प्रार्थीया सं. 1 के ससुर व प्रार्थी सं. 2–3 के दादा एंव अप्रार्थी सं. 1 के पिता श्री हंसराज पुत्र सदासुख के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 10 एलकेएस के प.न. 9/282 (9) किला नं. 1 से 15 की 3.795 हैक्. नहरी मय रास्ता भुमि व प.न. 10/282 (15) किला नं. 2, 3, 8, 9, 13/2 की 1.101 हैक्. अ.क. बारानी भुमि वर्तमान चक 12 एलकेएस में है । चक 17 एलजीडब्लयु के प.न. 5/293 (46) किला नं. 1 से 25 व प.न. 5/294 (47) किला नं. 2 से 8 की कुल 7.919 हैक्. नहरी मय रास्ता भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। चित्रप्रति जमाबन्दी चक 10 एलकेएस व चक 17 एलजीडब्लयू सं. 2045 संलग्न प्रार्थना पत्र है व [illegible] जमाबन्दी चक 12 एलकेएस सं. 2074 से 2077 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि श्री हंसराज के दो [illegible] प्रार्थीगण के पति व पिता रामकुमार थे। हंसराज ने प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित चक 10 एलकेएस की 19.07 [illegible] व चक 17 एलजीडब्लयु की 31.07 बीघा कुल 50.14 [illegible] भूमि का अपने जीवनकाल [illegible] दिनांक 12.04.1972 को अपने दोनो पुत्रो की सहमति से बंटवारा का इसकी लिखित कर उपपंजीयक सुरतगढ़ से तस्दीक करवा दिया था। इस बंटवारा में अपने दोनो पुत्रो का अपने बराबर ब.हि.बराबर का हक मानते हुए प्रत्येक को 1/3 हिस्सा यानि 16.18 बीघा भूमि दी गई। दोनो चको की भुमि का निम्न प्रकार से बंटवारा कर काबिज होकर काश्त करने लगेरू–

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(क). श्री हंसराज को प्राप्त भुमि–चक 10 एलकेएस के प.न. 9/282 (9) किला नं. 11 से 22/12 बीघा, 13/.11 बीघा कुल 12.11 बीघा नहरी मय गै.मु. व प.न. 10/282 (15) किला नं. 2, 3, 8, 9, 13/.07 कुल 4.07 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 16. 18 बीघा भूमि प्राप्त हुई।

(ख). सुभाष पुत्र हंसराज प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त भूमि–चक 10 एलकेएस के प.न. 9/282 (9) किला नं. 23/0924, 25 की 2. 09 बीघा व चक 17 एलजीडब्लयु के प.नं. 5/293 (46) किला नं. 3/.09 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 14.09 बीघा कुल 16.18 बीघा नहरी मय गैर मुमकिन भूमि।

(ग). रामकुमार पुत्र हंसराज (वादीगण के पति व पिता) को प्राप्त भूमि–चक 17 एलजीडब्लयु प.नं. 5/293 (46) किला नं. 1/2, 3/11 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 10.11 बीघा व प.नं. 5/294 (47) किला नं. 2 ता 5, 6/.13, 7/.16, 8/18 की 6.07 बीघा इस प्रकार कुल 16. 18 बीघा नहरी मय गैर मुमकिन भूमि।

इसी प्रकार से पक्षकारान का कब्जा काश्त है। यह कि श्री हंसराज पुत्र सदासुख की मृत्यु दिनांक 12.11.84 को हो चुकी है तथा श्री रामकुमार पुत्र हंसराज की मृत्यु दिनांक 18.11.2010 कां हो चुकी है। स्व.रामकुमार के जायज व कानुनी वारिस प्रार्थीगण है। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हंसराज व रामकुमार संलग्न वाद पत्र है।

यह कि स्व. श्री हंसराज द्वारा दिनांक 12.04.1972 को करवाये गये बटवारा के मुताबिक तीनो चको की भूमि राजस्व अभिलेख में अकंन होना था। इसी बटंवारा मुताबिक ही श्री हंसराज, प्रार्थीगण के पति व पिता रामकुमार व अप्रार्थी सं. 1 सुभाषचन्द्र बतौर खातेदार काबिज काश्त रहे है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित बंटवारा मुताबिक चक 10 एलकेएस की 16.18 बीघा हंसराज को तथा चक 10 एलकेएस की 2.09 बीघा व चक 17 एलजीडब्लयु की 14.09 बीघा कुल 16.18 बीघा सुभाषचन्द्र अप्रार्थी सं. 1 तथा चक 17 एलजीडब्लयु की 16.18 बीघा भूमि रामकुमार को प्राप्त हुई। श्री हंसराज को प्राप्त भुमि के प.न. 10/282 (15) किला नं. 2–3–8–9–13/2 कुल 1.101 हैक. भुमि वर्तमान चक 12 एलकेएस में है जो स्व. हसंराज के नाम है तथा प.न. 9/282 (9) किला नं. 11 से 22/12 बीघा 23/11 बीघा की 12.11 बीघा यानि 3.176 हैक. भुमि हंसराज की मृत्यु के बाद उनके वारीसान के नाम दर्ज हो गई है। अप्रार्थी सं.1 सुभाषचन्द्र ने 10 एलकेएस के प.न. 9/282 किला नं. 23/113, 24–25/.506 की 0.619 हैक. भुमि मुताबिक बंटवारानामा के जरिये नामान्तरण सं. 08.06.2017 के अपने नाम दर्ज करवाकर इसे पत्नी इन्द्रा को जरिये दान दे दी जो इन्द्रा के नाम जरिये नामान्तरण दिनांक 20.12. 2017 को दर्ज हो चुकी है। चित्रप्रति जमाबंदी चक 10 एलकेएस, चक 12 एलकेएस, चित्रप्रति नामान्तरण चक 10 एलकेएस दिनांक 08.06.2017 व 20.12.2017 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रशनगत चक 17 एलजीडब्लयु के प.न. 5/293 (46) किला नं. 1/1 ता 25/2 की 6.325 हैक्रू नहरी मय गै.मु.रास्ता व प.न. 5/294 (47) किला नं. 2 ता 8/2 की 1.594 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 7. 919 हैक नहरी भुमि भी प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित पंजीकृत बंटवारा के मुताबिक ही राजस्व अभिलेख में दर्ज होनी थी। प्रार्थना पत्र की दफा 4 श्गश के मुताबिक चक 17 एलजीडब्लयु के प.नं. 5/293 (46)किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/139, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.669 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता व प.नं. 5/294 (47) किला नं. 2 ता 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, की 1.594 हैक. नहरी मय गै. मु. रास्ता इस प्रकार कुल 4.263 हैक. [illegible] श्री रामकुमार को प्राप्त हुई जिस पर वे बंटवारा के समय से ही काबिज काश्त [illegible] मृत्यु के बाद स्व. रामकुमार के वारीसान प्रार्थीगण बतौर खातेदार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 को बंटवारा में [illegible] से चक 10 एलकेएस की 2.09 बीघा भूमि मुताबिक बंटवारा दिनांक 12.04.1972 के अपने नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करवा ली है। प्रशनगत चक 17 एलजीडब्लयु की 7.919 हैक. भुमि में से 4.263 हैक. भुमि प्रार्थीगण की भुमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार है। शेष 3.656 हैक. भुमि का अप्रार्थी सं. 1 के हिस्सा की भुमि है जिसका वह खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 प्रशनगत चक 17 एलजीडब्लयु की 7.919 हैक. भुमि में से 3.656 हैक. भुमि का हक हिस्सा था परन्तु इसने हम

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीगण का हिस्सा हड़पने की नियत से पंजीकृत व विधिसम्मत बंटवारा दिनांक 12.04.1972 के विपरीत अपने नाम हिस्सा से अधिक 1/2 हिस्सा यानि 3.960 हैक. भुमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाकर इस भूमि में से 0.506 हैक. भुमि अंकित व आयुष को बैचान कर दी है। प्रशनगत भुमि में प्रार्थीगण का 4.263 हैक. हिस्सा है जबकि राजस्व अभिलेख में 3.959 हैक. भुमि दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के हिस्सा की 0.304 हैक. भुमि राजस्व अभिलेख में कम दर्ज है जो प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है इसलिए प्रार्थीगण प्रशनगत चक 17 एलजीडब्लयु की 7.919 हैक. भुमि में से 4.263 हैक. नहरी मय गै.मु.रास्ता भुमि के खातेदार काश्तकार है परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भुमि मुताबिक हिस्सा दर्ज नहीं होने व प्रार्थीगण का 0. 304 हैक. हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 सुभाष के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। इस प्रकार स्व. श्री रामकुमार कुल 4.263 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता भुमि अलग काश्त करते रहे है उनकी मृत्यु के बाद वादीगण इस भुमि को बतौर खातेदार काबिज काश्त है और इस पुर्व में हुए पंजीकृत बंटवारा के मुताबिक अपना खाता विभाजन करवाने के हकदार है। अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में वह पंजीकृत बटवारें के विपरीत चक 17 एलजीडब्लयु की भूमि के राजस्व अभिलेख में अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से हम प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि अपनें नाम अंकित करवाली है। इस गलत अंकन का नाजायज फायदा उठातें हुए व हम प्रार्थीगण जो औरतजात व नाबालिग है का हिस्सा मारने की नियत से इस भूमि को विक्रय करने व प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करने पर आमाद है। यदि व अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर स्थगन आदेश ताफैसला वाद इस आशय का जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 17 एलजीडब्लयु के प.न. 5/293 (46) किला नं. 1/1 ता 25/2 की 6. 325 हैव. नहरी मय गै.मु.रास्ता व प.न. 5/294 (47) किला नं. 2 ता 8/2 की 1.594 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 7.919 हैक. नहरी भुमि मय गै.मु. रास्ता भुमि में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भुमि को रहन, बैय ना करे प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज निष्पादित न करे । भुमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवकता की एक पक्षिय बहस सुने जाने के बाद दिनांक 30.5.2023 को प्रश्नगत रकबा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है।अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जिसमें अप्रार्थी नं० 1 का जवाब प्रार्थना–पत्र निम्नप्रकार से है–

यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–1 में दर्ज कथन कि, उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है।श, स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन केवल मात्र कयास के आधार पर दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–2 में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर ही है। इस मद में दर्ज कथन अप्रार्थी नं० 1 से सबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार है।यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–3 में दर्ज कथन राजस्व रिकार्ड से सबंधित है। जिन्हे न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर है। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–4 में दर्ज कथन पूर्णतयः सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि हंसराज पुत्र श्री सदासुख के द्वारा चक 10 एल. के.एस. में स्थित 19.07 बीघा व चक 17 एल.जी.डब्ल्यु. में स्थित 31. 07 बीघा कुल 50.14 बीघा कृषि भूमि का अपने दोनों पुत्रों में बंटवारा किया गया था किन्तु उक्त कार्य में दोनों पुत्रों की सहमति रही हो, यह कथन असत्य है। तथा उक्त लिखित बंटवारा अनुसार काबिज होकर काश्त की गई हो, यह कथन भी असत्य दर्ज किए हुए है। इसी मद में उपपेरा क से ग में जो–जो कथन दर्ज किए गए है वे स्पष्टतः असत्य एंव बिना दस्तावेजी प्रमाणों के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। वादाधीन कृषि भूमि मूल रूप से हंसराज पुत्र श्री सदासुख की स्वःअर्जित कृषि भूमि नहीं थी। उक्त प्रशनगत कृषि भूमि हंसराज के दादा श्री रामसुख पुत्र लाखा की कृषि भूमि थी। श्री रामसुख के स्वर्गवास होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बाद यह रकबा सदासुख पुत्र श्री रामसुख के नाम से विरासतन दर्ज हुआ रकबा है। पुनः सदासुख की मृत्यु के पश्चात यह रकबा हंसराज पुत्र सदासुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ रकबा है। अप्रार्थी नं० 1 के द्वारा दर्ज उक्त कथनों की पुष्टि व प्रमाणिकता स्वयं प्रार्थीगण ने एक वाद–पत्र संख्या– 17/2023 सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अनवान कुणाल वगै0 बनाम सायरी देवी व अन्य में वाद–पत्र की मद संख्या– 4 में विस्तार से की है। उक्त अनवान के वाद–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न जवाब दावा है एंव फोटो–प्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र है। इसलिए अब प्रार्थीगण कानूनः नए कथनों के आधार पर उक्त अनवान का वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के कानूनः हकदार ही नहीं है। प्रार्थीगण कानूनः विबन्ध के सिद्धांत से बाधित है। अर्थात यह किसी व्यक्ति को अपने द्वारा पूर्व में किए गए किसी कथन की सत्यता से प्रत्याख्यान करने से प्रवारित करता है। प्रार्थीगण के द्वारा वर्तमान में श्रीमान न्यायालय में इतने वर्षो के पश्चात आधारहीन दस्तावेज को आधार बनाकर विरूद्व अप्रार्थीगण उक्त अनवान का जो वाद–पत्र/प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है वह केवल मात्र न्यायालय का समय बर्बाद करने की मन्शा से एंव अप्रार्थीगण को परेशान करने के इरादे से प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण खारीज योग्य है।

5. यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में दर्ज कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीगण पर है।

6. यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 6 में जो–जो कथन दर्ज किए गए है वे सही तथ्यों को तोड़–मरोड़कर गल्त ढंग से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

वास्तविकता यह थी कि बंटवारा लिखित दिंनाक 12/04/1972 में वर्णित कथनानुसार कृषि भूमि के कब्जा काश्त की स्थिती पूर्णतयः उसी अनुसार नहीं थी। केवल मात्र चक 10 एल.के.एस. में स्थित प0नं0 9 /282 के कि0नं0 23/0.113, 24/0.253, 25/0.253 है0 कुल 0.619 है० कृषि भूमि ही अप्रार्थी नं० 1 के पूर्ण रूप से कब्जा काश्त में रही भूमि थी। इसी कारण बाद के वर्षो में उक्त लिखित की केवल मात्र आंशिक पालना ही हो पाई थी। जिस पर परिवार के सभी सदस्यों की सहमति भी रही थी। उक्त दर्ज कथनों की सबसे बड़ी प्रमाणिकता यह कि हंसराज पुत्र सदासुख की मृत्यु के पश्चात उसके नाम से दर्ज कृषि भूमि का उसके समस्त वारीसान के नाम से ब०हि०ब० विरासतन नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। यही नहीं, प्रार्थना–पत्र में वर्णित चक 17 एल. जी. डब्ल्यु. में स्थित कृषि भूमि की बाबत स्व० हंसराज के वारीसान क्रमशदृ सायरी देवी पत्नी हंसराज, इन्द्रादेवी – सरलादेवी – शकुन्तलादेवी पुत्रियां स्व० श्री हंसराज के द्वारा जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तवरदारी दिंनाक 18/06/2001 को अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में ब०हि०ब० अपने–अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग कर दिया था। उस समय प्रार्थीगण के पिता/पति श्री रामकुमार जीवित भी थे। प्रार्थीगण के पिता की सहमति से एंव उनके जीवनकाल में ही उक्त प्रशनगत कृषि भूमि स्व० हंसराज के दो पुत्रों क्रमश– सुभाषचन्द्र व रामकुमार के नाम से ब०हि०ब० राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। तथा तभी से आज तक मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अप्रार्थी नं० 1 अपने 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–7 में दर्ज कथन सही तथ्यों के विपरित, असत्य तथा मोका स्थिती के विपरित दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। पूर्व में हुआ बंटवारनामा पूर्णतयः मोके के सही कब्जा काश्तनुसार सही हिस्सानुसार एंव सभी वारीसान की सहमति से निष्पादित हुआ नहीं था। इसी कारण बाद [illegible] स्व० हंसराज के सभी वारीसों ने सहमतिपूर्वक केवल मात्र चक 10 एल.के.एस. में [illegible] है० कृषि भूमि ही सही कब्जा काश्त अनुसार होने से राजस्व रिकार्ड में [illegible] पाई थी। प्रशनगत चक 17 एल.जी.डब्ल्यु. में स्थित कृषि भूमि [illegible] पिता/पति श्री रामकुमार के जीवनकाल में ही उनके व उनके भाई अप्रार्थी नं० 1 के नाम से बहि०ब० राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही कृषि भूमि है। यदि बंटवारनामा पर सभी वारीसान की पूर्ण सहमति हुई होती तो श्री रामकुमार के जीवनकाल में ही प्रशनगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारनामा दर्ज हो गई होती, किन्तु बंटवारनामा पर सभी वारीसान पूर्णतयः सहमत नहीं होने के कारण से मुताबिक बंटवारनामा भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया। उक्त कथनों की प्रार्थीगण को भलीभांति जानकारी भी थी इसके बावजुद भी वर्तमान में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आधारहीन दस्तावेज के आधार पर श्रीमान न्यायालय से प्रार्थीगण के द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि की बाबत उक्त अनवान के प्रार्थना–पत्र के माध्यम से विरूद्ध प्रतिवादीगण जो अनुतोष चाहा गया है वह सिरे से खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 में अंकित कथन असत्य एंव न्यायालय को गुमराह करने की गर्ज से दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है।

प्रशनगत कृषि भूमि जो कि चक 17 एल.जी.डब्ल्यु. में स्थित है, की बाबत प्रार्थीगण के पिता/पति श्री रामकुमार के जीवनकाल में स्व० हंसराज के शेष वारीसान के द्वारा स्वतन्त्र ईच्छा से अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग प्रार्थीगण के पिता/पति श्री रामकुमार व उनके भाई अप्रार्थी नं० 1 सुभाषचन्द्र के पक्ष में ब0हि0ब0 रूप में किया हुआ है। तभी से उक्त प्रशनगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं० 1 के नाम से हिस्सानुसार बतोर खातेदार दर्ज हुई कृषि भूमि है। अपने हिस्सा की भूमि पर किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करना, उसे बन्धक रखना व जरूरत के समय उसे बैय करना कानूनः वर्जित नहीं है। यदि प्रार्थीगण को, अप्रार्थी नं० 1 के द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि की बाबत अंकित व आयुष के साथ किया हुआ ऐसा संव्यवहार कानूनः वर्जित लगता तो वे अप्रार्थी नं० 1 के द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहार को उसी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतन्त्र थे किन्तु उन्होने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। स्पष्टतः प्रार्थीगण इस संव्यवहार से कतई प्रभावित नहीं थे। ओर ना ही वास्तविकता में उनकी किसी भी प्रकार की हिस्सा भूमि को कोई आंच आई है। प्रार्थीगण की मन्शा केवल बदयान्ति–पूर्वक तरिके से अप्रार्थी नं० 1 को अदालती कार्यवाहीयों से परेशान कर नाबालिग बच्चों की आड़ में धन शोधन करना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि के अप्रार्थी नं० 1 के द्वारा विक्रय किए जाने की बाबत अंकित कथन बिना दस्तावेजी प्रमाणों के असत्य दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार योग्य है। स्पष्टतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण असत्य कथनों एंव आधारहीन दस्तावेज पर प्रस्तुत हुआ होने के कारण ना तो प्रथम द्रष्टवा मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है ओर ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रथम द्रष्टवा विधि–विरूद्ध, असत्य कथनों के आधार पर एंव आधारहीन दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण खारीज फरमाया जावे।स्टेट जवाब प्रकरण में प्राप्त है। शामिल पत्रावली है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया किया कि प्रार्थीया के पति/पिता रामकुमार कुल 4.263 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता भुमि काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद वादीगण इस भुमि को बतौर खातेदार काबिज काश्त है और इस पुर्व में हुए पंजीकृत बंटवारा के मुताबिक अपना खाता विभाजन करवाने के हकदार है। अप्रार्थी सं. 1 ने पूर्व में वह पंजीकृत बटवारें के विपरीत चक 17 एलजीडब्लयु की भूमि के राजस्व अभिलेख में अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से हम प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि अपनें नाम अंकित करवाली है। इस गलत अंकन का नाजायज फायदा उठातें हुए व हम प्रार्थीगण का हिस्सा मारने की नियत से इस भूमि को विक्रय करने व प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करने पर अप्रार्थी संख्या 1 आमाद है। अस्थाई निषेधाज्ञा कनर्फम की जाने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपने हिस्सा की भूमि पर किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करना, उसे बन्धक रखना व जरूरत के समय [illegible] है। यदि प्रार्थीगण को, अप्रार्थी नं० 1 के द्वारा प्रशनगत कृषि भूमि की बा[illegible] न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतन्त्र थे किन्तु उन्होने ऐसा को[illegible] इस संव्यवहार से कतई प्रभावित नहीं थे। ओर ना ह[illegible] प्रकार की हिस्सा भूमि को कोई आंच आई है। प्रार्थीगण क[illegible] पूर्वक तरिके से अप्रार्थी नं० 1 को अदालती कार्यवाहीयों से परेशान कर नाबालिग बच्चों क[illegible]ड़ में धन शोधन करना है। यदि व अपने इस मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30.05.23 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

3/9/25

(उमा मित्तल)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested